पत्रांक:- 41 (HEN) दिनांक:- 24.04.15

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

आदेश

सभी जिला अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पतालों, रेफरल अस्पतालों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) से उपस्थिति अनिवार्य है। इस विषय पर निम्नवत् बिन्दुओं के आधार पर कार्रवाई की जानी है:-

1. आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) द्वारा प्रत्येक पदाधिकारी/कर्मचारी के लिए उपस्थिति दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा। इस प्रणाली को कोषागार से जोड़ा जा रहा है।

2. इस हेतु संबद्व कार्यालयों के कार्यालय प्रधान, अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों/ कर्मचारियों का AEBAS "आधार" आधारित बायोमैट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज कराने हेतु झारखंड सरकार की बेबसाईट http:/attendance.jharkhand.gov.in/registration.aspx का प्रयोग कर कर्मियों का पंजीयन कराना सुनिश्चित करेंगे। इसमें संविदा/दैनिक रूप आदि के आधार पर रखे गये कर्मी भी सम्मिलित होंगे।

3. पंजीयन तथा उपस्थिति को सत्यापित करने के लिए प्रत्येक कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सक्षम पदाधिकारी होंगे। आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली हेतु संसाधन एवं सम्बन्धित टैबलेट, उपकरण आदि के रख-रखाव एवं सुरक्षा की जवाबदेही भी उपरोक्त पदाधिकारी की होगी।

4. मुख्यालय में UID के District Programme Oficer (DPO) / NIC के DPO द्वारा सभी जिलों के DDM/DPM को AEBAS प्रणाली एवं पंजीकरण प्रशिक्षण दिः 02.03.2015 को दिया जा चुका है। किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर संबंद्व जिले के DDM/ DPM/ BDM/ BPM/ BAM/ संगणक अपने जिला अन्तर्गत UID/NIC के DPO से संपर्क स्थापित कर इसका निराकरण करेंगे।

5. सभी जिलों के सिविल सर्जन, जिलों में AEBAS के नियंत्री होंगे और उनके द्वारा ही उपस्थिति सत्यापित की जायेगी। अगर कोई चिकित्सक, चिकित्साकर्मी, तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी अनुपस्थित होते हैं या विलंब से आते हैं तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

6. जिला अस्पतालों/अनुमंडलीय अस्पतालों/रेफरल अस्पतालों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी, तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की उपस्थिति /अनुपस्थिति की मासिक विवरणी की जांच उपाधीक्षक, सदर अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, सामु0 स्वा0 केन्द्र के द्वारा की जायेगी। इस प्रतिवेदन को सिविल सर्जन के द्वारा सत्यापित तथा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

7. प्रत्येक पदाधिकारी/कर्मचारी के लिए आधार कार्ड के आधार पर उपस्थिति दर्ज कराने हेतु पंजीयन सुनिश्चित किया जाय।

8. आधार संख्या के आधार पर उपस्थिति हेतु पंजीयन संख्या/आई. डी. संख्या, छः अंको की होगी।

9. पंजीयन संख्या/आई. डी. संख्या की प्रविष्टि करते हुए बायोमैट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज हो सकेगी।

10. उपस्थिति दर्ज करने हेतु प्रक्रिया निम्नवत् है:–

क. सर्वप्रथम उपस्थिति के लिए छः अंको की पंजीकरण संख्या अंकित की जायेगी।

ख. "Scan Finger" के विकल्प का चयन करते हुए उपस्थिति हेतु किसी भी एक Finger का प्रयोग किया जायेगा।

ग. Authenticate विकल्प को दबाने से उपस्थिति दर्ज हो जायेगी।

घ. उपस्थिति दर्ज कराने के पश्चात् कर्मी अपना फोटो देखना सुनिश्चित करेंगे।

11. राज्य के सभी अस्पतालों में प्रत्येक कार्य दिवस को बाह्य रोगी विभाग (OPD) की कार्यावधि निम्नवत् निर्धारित की जाती है:–

प्रातः 9.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक

12. उक्त अवधि में अस्पताल में पदस्थापित सभी चिकित्सक, पारा चिकित्सा कर्मी एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

13. सदर अस्पताल/अनुमण्डल अस्पतालों/रेफरल अस्पतालों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी पदा0 द्वारा सभी उपलब्ध चिकित्सकों के लिए आपातकालीन कार्य तालिका (Emergency Duty Roster) बनाया जायेगा। बाह्य रोगी विभाग (OPD) के पश्चात आपातकालीन कार्य तालिका हेतु निम्न बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित किया जायेगा–

i- कम से कम एक चिकित्सक आपातकालीन कार्यों हेतु अवश्य उपलब्ध रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर एक या सभी चिकित्सकों का बुलाया जा सकता है।

ii- सांध्य आपातकालीन कार्य हेतु समय सांय 3.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक रहेगा। रात्रि आपातकालीन कार्य हेतु समय रात्रि 9.00 बजे से अगले दिन प्रातः 9.00 तक रहेगा।

iii- एक पाली के चिकित्सा पदा0 दूसरे पाली के चिकित्सा पदा0 को विरमित करेगे। विरमन के उपरान्त ही कार्यरत चिकित्सा पदा0 अपना उपस्थिति दर्ज कर कार्यस्थल छोड़ेगे।

iv- रात्रि आपातकालीन कार्य हेतु नामित चिकित्सा पदा0 को अगले दिन वाह्य विभाग के कार्य से मुक्त रखा जायेगा। रात्रि पाली में कार्यरत सभी चिकित्सक एंव कर्मी प्रातः 9 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज कर कार्य स्थल छोड़ेगे।

v- रात्रि आपालकालीन कार्य करने वाले चिकित्सक/चिकित्साकर्मी अगले कार्य दिवस से पूर्व की भांति वाह्य विभाग में उपलब्ध रहेंगे।

14. कार्य अवधि में चिकित्सकों के लिए AEBAS पर उपस्थिति एवं भ्रमण पंजी (Movement Register) का निर्धारण सुनिश्चित किया जाय। बाह्य रोगी विभाग (OPD) की कार्य अवधि में क्षेत्र भ्रमण अथवा अन्य प्रशासनिक कार्य हेतु जाने की स्थिति में संबंधित पदा0/कर्मी द्वारा भ्रमण पंजी में निरीक्षण/केन्द्र/उपकेन्द्र/अन्य स्थल का नाम, जाने का समय एवं आने का समय हस्ताक्षर सहित दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा।

15. AEBAS के अन्तर्गत चिकित्सीय कार्य में पदस्थापित सभी चिकित्सक एवं अन्य चिकित्साकर्मी अपनी पाली के अनुसार उपस्थिति दर्ज करेंगे।

16. सिविल सर्जन, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, एवं कार्यालय से संलग्न तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग एवं अन्य अनुबंधित कर्मचारी प्रातः 10.00 बजे एवं सायं 05.00 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे।

17. यदि कोई पदाधिकारी/कर्मचारी किसी माह विशेष में निर्धारित समय से आधे घंटे से ज्यादा विलंब से अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं तो प्रत्येक तीन कार्य दिवस में विलंब से आने के आधार पर एक दिन आकस्मिक अवकाश की कटौती की जायेगी।

18. जिन स्वास्थ्य ईकाईयों में यह व्यवस्था लागू नहीं की गई है वे दिनांक 01.05.2015 से आवश्यक रूप से इसे लागू करना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य की पूर्ण जिम्मेवारी जिले के सिविल सर्जन की होगी।

(के. विद्यासागर)
(प्रधान सचिव)
22/4/15

ज्ञापांक 41 (HSN)

दिनांक 24.04.15

प्रतिलिपि:

1. प्रधान सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, झारखण्ड को सुचनार्थ प्रेषित।
2. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक प्रमुख (स्वास्थ्य सेवाएँ) को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सभी उपायुक्त, झारखंड को सूचनार्थ प्रेषित।
5. सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक (स्वास्थ्य) को सूचनार्थ प्रेषित।
6. सभी सिविल सर्जन, झारखंड को सूचनार्थ तथा अनुपालनार्थ तथा अपने अधीनस्थ स्वास्थ्य ईकाईयों को अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

(प्रधान सचिव)
22/4/15